1521 ई. में जर्मन राज्यों की वर्म्स में आयोजित सभा ने उसे अपने विचार वापस लेने को कहा। उसने कहा कि वह ऐसा कर सकता है, यदि उसकी बातें तर्क और प्रमाण के द्वारा काट दी जायें। इस सभा ने उसकी रचनाओं को गैर-कानूनी घोषित कर दिया तथा उसे कानूनी रक्षा से वंचित कर दिया। इसी बीच उसने बाइबिल का जर्मन अनुवाद किया, जो अत्यन्त लोकप्रिय हुआ, जिसका आज भी महत्व है।

मार्टिन लूथर के विचार एवं उनका प्रसार

(i) उसने ईसा और बाइबिल की सत्ता स्वीकार की लेकिन पोप और चर्च की दिव्यता और निरकुंशता को नकार दिया। (ii) चर्च द्वारा निर्धारित कर्मों के स्थान पर उसने ईश्वर में आस्था को मुक्ति का साधन बताया। (iii) 'सप्त संस्कारों; में से उसने केवल तीन-नामकरण, प्रायश्चित और प्रसाद को ही माना। (iv) उसने चर्च के चमत्कार में अविश्वास व्यक्त किया। (v) किसी भी व्यक्ति को न्याय से ऊपर नहीं होना चाहिये। (vi) रोम के चर्च के प्रभुत्व का अन्त करके राष्ट्रीय चर्च की शक्ति को सबल बनाया जाना चाहिये। (vii) धर्मग्रन्थ सबके लिये हैं, सब उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। (viii) चर्च के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पादरी लोगों को विवाह करके सभ्य नागरिकों की तरह रहने की अनुमति दी जानी चाहिये।

आने वाले वर्षों में मार्टिन लूथर एक स्वतन्त्र चर्च स्थापित करने की बात कहता रहा। उसने कैथोलिक चर्च की श्रेणीबद्ध व्यवस्था को स्वीकार किया। जर्मन भाषा को चर्च के कार्य-व्यवहार की भाषा बनाया। मठवाद का अंत किया। धरती पर ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में पुरोहितों के विशेष पद को समाप्त किया। दैववाद के सिद्धान्तों एवं धर्मग्रन्थों की सत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। तीर्थयात्रा एवं अवशेषों की पूजा को गौण माना। कुल मिलाकर लूथर धर्म को एक सरल रूप देने में लगा रहा।

आगामी कुछ वर्षों में समस्त मध्य व उत्तरी जर्मन रियासतों में लूथर के विचारों व शिक्षाओं का अपूर्व प्रसार हुआ। तत्कालीन सामाजिक तथा राजनीतिक अशान्ति का पूर्ण लाभ उठाते हुए लूथर ने पोप व सम्राट दोनों की उपेक्षा की। उसके सिद्धान्त बड़ी शीघ्रता से स्वीकृत व मान्य होने लगे। लूथर का धर्म सुधार आन्दोलन वस्तुतः लोकप्रिय व राष्ट्रीय आन्दोलन था। उसने सदाचारी ईसाइयों को अपने धर्म सुधार आन्दोलन की ओर आकृष्ट किया। लूथरवादी शिक्षाओं ने जर्मनी के देशभक्तों को भी अत्याधिक प्रभावित किया क्योंकि वे विदेशी पुरोहितों की शोषणात्मक नीति का अन्त करना चाहते थें। उसके समर्थकों ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध विद्रोह किया, चर्च की जागीरें व जायदाद छीन ली तथा कैथोलिक पूजा-उपासना का परित्याग कर दिया। कैथोलिक मठ नष्ट-भ्रष्ट कर दिये गये। पोप की राजनीतिक, धार्मिक व आर्थिक सत्ता अमान्य की गयी। 1524 ई. में समस्त जर्मनी में लूथरवादी शिक्षाओं का प्रचास व पालन अवश्यम्भावी प्रतीत होने लगा, परन्तु इसी समय अग्रलिखित कुछ ऐसी घटनाएँ घटित हुई जिनके परिणामस्वरूप लूथरवादी आन्दोलन काफी सीमित हो गया। अन्ततोगत्वा उत्तरी जर्मनी राज्यों में ही उसका प्रभाव रहा।

मार्टिन लूथर के विचारों के तेजी से पनपने का एक अप्रत्याशित परिणाम यह निकला कि जर्मनी में कृषकों के विद्रोहों की शुरूआत हो गई। काट्र्सतेद्त, टॉमस मुत्ज़र जैसे लोगों के नेतृत्व में लूथरवाद ने अधिक उग्र-सुधारवादी रूप धारण कर लिया था। इस पृष्ठभूमि में केन्द्रीय तथा दक्षिण-पश्चिमी जर्मनी में 1525 ई. में महान् कृषक युद्ध हुए। वे कृषिदास-प्रथा, सामंती-कर, धार्मिक-कर, वन संपदा के उपयोग पर नियन्त्रण आदि के प्रचलन के विरुद्ध आन्दोलनरत थे। साथ ही वे पादरियों के निर्वाचन की भी माँग कर रहे थे। किसानों की यह मान्यता थी कि लूथर धार्मिक स्वतन्त्रता के साथ-साथ सामाजिक ओर आर्थिक स्वतन्त्रता का भी समर्थक होगा। अतः वे अपने आन्दोलन के समर्थन में लूथर से काफी आशा कर रहे थे। परन्तु इसके विपरीत लूथर ने विद्रोह को दबाने में शासकों एवं जमींदारों का साथ दिया। लूथर ने कड़े शब्दों में किसानों की भर्त्सना की ओर सामंतों से कहा कि वे उन्हें पागल कुत्तों की भाँति मार डालें। ऐसा अनुमान है कि 50,000 किसानों की मौत के बाद विद्रोह को दबाया जा सका था। कुल मिलाकर लूथर का आन्दोलन, सामाजिक -आर्थिक आन्दोलन के रूप में उग्र-सुधारवादी नहीं था। इसका एक प्रमुख परिणाम यह निकला कि लूथरवाद उत्तरोत्तर निम्नवर्गीय शक्तियों की सहानुभुति खोता गया और क्रमशः जर्मन-नरेशों पर अधिकाधिक आश्रित होता गया। लूथर के रूढ़िवादी दृष्टिकोण के कारण धर्मसुधार की धारा को आवृत्ति ताजगी मिलना भी बंद हो गया।

प्रोटेस्टेन्ट चर्च का जन्म-

धार्मिक विवाद के हल के लिए 1526 ई. में पवित्र रोमन साम्राज्य की पहली सभा स्पीयर में हुई। चूंकि इसमें जर्मनी के शासकगण, लूथरवाद व कैथोलिक दलों में विभक्त हो गये थे, अतः यह सभा धर्म सुधार आन्दोलन के सम्बन्ध में कोई स्थायी समाधान न कर सकी। इस सभा ने धार्मिक समस्या के समाधान या धर्म निश्चय का उत्तरदायित्व स्थानीय शासकों पर छोड़ दिया और यह निश्चय किया गया कि प्रत्येक राज धर्म के मामलें में ऐसा मार्ग अपनायेगा कि वह उपने आचरण के लिए ईश्वर और सम्राट के प्रति उत्तरदायी होगा। 1529 ई. में स्पीयर में ही एक दूसरी सभा हुई। किन्तु उस सभा ने भी सुधार आन्दोलन को मान्यता प्रदान नहीं की तथा नये सुधार आन्दोलन के विरुद्ध कई कठोर निर्देश पारित किये। इस सभा के एक पक्षीय निर्णयों के विरुद्ध लूथरवादी शासकों व समर्थकों ने तीव्र विरोध किया। इस विरोध या प्रतिवाद (प्रोटेस्ट) के कारण इस सुधार आन्दोलन का नाम 'प्रोटेस्टेन्ट पड़ा। औपचारिक तौर पर यह विरोध 16 अप्रैल, 1529 को हुआ। इस प्रकार प्रोटेस्टेन्ट अनुयायियों ने कैथोलिक चर्च व पोप के सार्वभौमिक अधिकारों को अस्वीकार कर दिया। सन् 1530 में प्रोटेस्टेन्ट धर्म का सैद्धान्तिक रूप निरूपित किया गया जिसमें मार्टिन लूथर के सिद्धान्त को मान्यता मिली।

ऑग्सबर्ग की संधि

सम्राट चार्ल्स पंचम् अन्य समस्याओं में उलझा हुआ था। 1530 ई. के बाद उसने लूथरवाद को दबाना चाहा। उसने ऑग्सबर्ग में एक सभा बुलायी एवं वहाँ प्रोटेस्टेन्ट लोगों को विधिपूर्वक अपने सिद्धान्तों को पेश करने की आज्ञा दी। अतः इस सभा में प्रोटेस्टेन्टों ने एक दस्तावेज के रूप में अपने सिद्धान्त रखे। इस दस्तावेज को 'ऑग्सबर्ग' की स्वीकृति' कहते हैं परन्तु चार्ल्स पंचम् ने 'ऑग्सबर्ग की स्वीकृति' को अमान्य कर दिया। किन्तु लूथरवादियों के प्रभाव तथा स्वयं की बाह्य परिस्थितियों के कारण उसने 1532 ई. में विराम-संधि की, जो 1546 ई. तक चली। बाह्य आपत्तियों व घरेलू समस्याओं से छुटकारा पाने के उपरान्त चार्ल्स पंचम् ने प्रोटेस्टेन्टों का समूल दमन करने का निश्चय किया। इसी निश्चय के परिणामस्वरूप जर्मनी में 1546 ई. से 1555 ई. तक गृह-युद्ध छिड़ गया। दीर्धकालीन गृह-युद्ध के भयंकर दुष्परिणामों से विवश होकर प्रिंस फर्डिनेन्ड ने जर्मनी के प्रोटेस्टेन्टों के साथ सन् 1555 में ऑग्सबर्ग की संधि की। इस संधि के अनुसार (i) हर शासक को (जनता को नहीं) अपना और अपनी प्रजा का धर्म चुनने की स्वतंत्रता दे दी गयी। (ii) 1552 ई. से पहले प्रोटेस्टेन्ट लोगों ने चर्च की जो जायदाद अपने अधिकार में ले ली थी, वह उनकी मान ली गयी (iii) लूथर के अतिरिक्त अन्य किसी को मान्यता नहीं दी गयी। (iv) कैथोलिक क्षेत्रों में बसने वाले लूथरवादियों को धर्म-परिर्वतन के लिए विवश नहीं किया जायेगा। (v) धार्मिक आरक्षण के सिद्धान्त के अनुसार यदि कोई कैथोलिक धर्म परिर्वतन करता है तो उसे पद से सम्बधित सभी अधिकारों का परित्याग करना होगा।

इन शर्तों ने एक हद तक धार्मिक संघर्ष को सुलझाया, पर बहुत त्रुटिपूर्ण ढंग से। संधि में व्यक्ति को नहीं शासक को धार्मिक स्वतंत्रता दी गयी थी जो बहुत दिनों तक मान्य नहीं हो सकती थी। इस संधि द्वारा सिर्फ लूथरवाद को ही कानूनी मान्यता दी गयी परन्तु अन्य प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदायों (जैसे ज्विंग्लीवाद, काल्विनवाद) को कोई मान्यता नहीं मिली। यह संधि धार्मिक कलह का निवारण न कर सकी ओर इस समस्या का निदान करीब-करीब एक सौ वर्ष बाद वेस्टफेलिया की संधि के साथ हुआ। ऑग्सबर्ग की संधि की कमियों के बावजूद जर्मनी सोलहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में युद्धों से बचा रहा।

काल्विनवाद-

लूथरवाद के समान ही यूरोप के दूसरे भागों में धर्म-सुधार आन्दोलन प्रारंभ हुए। इनमें स्विट्जरलैण्ड में काल्विनवाद लूथरवाद से भी सशक्त विचारधारा थी। इसका प्रणेता था-हुलड्रीक ज्विंगली।

ज्विंगली (1484-1531)--ज्विंगली का जन्म 1484 ई. में स्विट्जरलैण्ड में हुआ था। उसने धर्म-ग्रंथों का विशद् अध्ययन किया था। वह भी क्षमा-पत्रों का विरोधी था। ज्विंगली द्वारा बलात् धर्म परिवर्तन कराने के कारण स्विट्जरलैण्ड में गृहयुद्ध हो गया। अन्त में समझौता हुआ जिससे अन्तिम अधिकार स्थानीय सरकारों को मिल गया। फलतः आज भी जर्मनी की तरह स्विट्जरलैण्ड में कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेन्ट दोनों ही है।

काल्विन (1509-1564)- ज्विंगली की विचारधारा को उसकी मृत्यु के पाँच वर्ष पश्चात् फ्रांस में जॉन काल्विन ने व्यवस्थित करके सशक्त रूप में न केवल स्विट्जरलैण्ड में बल्कि बाहर भी स्थापित किया। जॉन काल्विन का जन्म